प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
फतेहपुर।

सेवा में,

प्रबन्धक/प्रधानाध्यापक,

~~विवेक बालिका स्कूल विद्यानगर~~

~~नगर क्षेत्र फतेहपुर।~~

पत्रांक/ 1457-58 /2002-2003 दिनांक 14-6-2002

विषय:-ग्रामीण क्षेत्र/नगर क्षेत्र के अशासकीय प्राथमिक विद्यालयों की नवीन अस्थायी मान्यता।

x——————x

महोदय,

जिला मान्यता समिति के निर्णय के अनुसार आपके विद्यालय को नवीन मान्यता
प्रथम अस्थायी मान्यता कक्षा-1 से 5 तक का आदेश निर्गत की तिथि से निम्नांकित
प्रतिबन्धों के साथ अग्रिम आदेशों तक के लिए प्रदान की जाती है। यह अस्थायी मान्यता
किसी भी समय समाप्त की जा सकेगी या उसकी अवधि में संशोधन किया जा सकेगा।
मान्यता अभिलेखों में कोई तथ्य गलत पाये जाने या किसी भी विभागीय आदेशों की
चूक होने या निम्नांकित प्रतिबन्धों की अवहेलना होने पर भी विद्यालय की नवीन
मान्यता समाप्त करने या रोकने का अधिकार विभाग को सुरक्षित रहेगा:-

प्रतिबन्ध :-

1- विद्यालय के पास छात्रसंख्या के अनुसार निजी पक्का भवन जो लिंटल/लेप/एस्बेस्टस
का भी मान्य है, होना चाहिए।
2- विद्यालय के पास उपयुक्त प्रार्थना स्थल होना चाहिए। क्रीड़ा स्थल होने पर
वरीयता मिलेगी।
3- निर्धारित सुरक्षित जमा हो तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पदनाम से संबद्ध हो।
4- अध्यापक सभी प्रशिक्षित रखे जाए।
5- विद्यालय में निर्धारित शुल्क लिया जाय तथा रसीदें दी जायेंगी।
6- विद्यालय में निर्धारित तथा मान्य अनुभाग चलाये जायें।
7- जिस स्थल तथा क्षेत्र में विद्यालय को मान्यता दी गयी है, उसके बदलने पर मान्यता
स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।
8- विद्यालय को किसी अन्य विद्यालय से सम्बद्ध न किया जाये क्योंकि व्यापक अहित तत्व है।
9- अध्यापकों एवं कर्मचारियों की भर्ती में विभागीय नियमों तथा आरक्षण आदेशों का
पालन किया जायेगा।
10-अध्यापकों एवं कर्मचारियों को वही वेतनमान तथा मंहगाई तथा अन्य भत्ते मिलेंगे
जो परिषदीय अध्यापकों एवं कर्मचारियों को मिलता है।
11-विद्यालय का निरीक्षण शिक्षा विभाग व अन्य सक्षम अधिकारियों द्वारा कभी भी
किया जा सकेगा तथा विभागीय निर्देश व नियमों का पालन अनिवार्य होगा।
12-विद्यालय के समस्त पात्र छात्रों को छात्रवृत्तियों का समुचित ढंग से भुगतान कराया
जायेगा।
13-विद्यालय सोसाइटी की अवधि नवीनीकरण कराया जाता रहे।
14-विद्यालय में खेलकूद, पुस्तकालय, विज्ञान सामग्री, पेयजल की व्यवस्था पूर्ण रखी जायेगी।
15-विद्यालय में प्राप्ति कोष की भी व्यवस्था की जाय।
16-विद्यालय परिषद द्वारा विहित पाठ्य पुस्तकें ही मान्य होगी।
17-विद्यालय में शिक्षा माध्यम देवनागरी लिपि हिन्दी में होगी।

भवदीय

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
फतेहपुर।

पृ०सं०/ 1457-58 /2002-2003 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- उप बेसिक शिक्षा अधिकारी, फतेहपुर।
2- सम्बन्धित सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारी
3- समाज कल्याण अधिकारी, फतेहपुर।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
फतेहपुर।

Principal
Children Public Sr. Sec. School
Fatehpur
Affiliation No. : 2130597

Principal
Children Public Sr. Sec. School
Fatehpur
Affn. No-2130597

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
फतेहपुर।

सेवा में,

प्रबन्धक,

1- डा0बी0आर0अम्बेडकर जू0हा0स्कूल-ललौली रोड, बिंदकी, न0क्षेत्र-बिंदकी
2- श्री राधेश्याम बाजपेई पू0मा0वि0मंदिर-खजुहा, शिक्षा क्षेत्र-खजुहा
3- सैनिक पब्लिक पू0मा0वि0-मवरियापुर, सैनिक नगर, शिक्षा क्षेत्र-भिटौरा
4- जगत नारायण उत्तम पू0मा0वि0-सैलावन, शिक्षा क्षेत्र-खजुहा
5- देशभक्त विद्या मंदिर जू0हा0स्कूल-खागा, शिक्षा क्षेत्र-ऐरांया
6- श्री लालबहादुर सिंह जू0हा0स्कूल-औधाइया, शिक्षा क्षेत्र-खजुहा
7- माँ कमला जू0हा0स्कूल-चन्दापुर(गढ़ा), शिक्षा क्षेत्र-विजयीपुर
8- श्रीजगतनारायण दीक्षित माता शिवरानी सरस्वती विद्यामंदिर, कलक्टरगंज-फतेहपुर, नगर क्षेत्र-फतेहपुर
9- चिल्ड्रेन पब्लिक स्कूल-चित्रांश नगर, नगर क्षेत्र-फतेहपुर
10-विकास विद्या मंदिर जू0हा0स्कूल-चौक जहानाबाद, शिक्षा क्षेत्र-देवमई
11-अहिल्याबाई होल्कर जू0हा0स्कूल-गाजीपुर, शिक्षा क्षेत्र-बहुआ
12-सुभाषचन्द्र बोस जू0हा0स्कूल-नउवाबाग, नगर क्षेत्र-फतेहपुर
13-स्व0रामचरन मेमोरियल पब्लिक स्कूल-ललौली, शिक्षा क्षेत्र-असोथर

पत्रांक/ 10209-29 /2002-03 दिनांक 31-3-2003

विषय:-अशासकीय उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा-6, 7 व 8) को अस्थायी मान्यता प्रदान करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या/646/15-6-97-13(ल)(7)/89 दिनांक 1-8-97 के अन्तर्गत जू0हा0स्कूलों की मान्यता के नियमों, शर्तों एवं प्रक्रिया में परिवर्तन के अनुसार गठित समिति की बैठक दिनांक 25-03-2003 में लिये गये निर्णयानुसार आपके विद्यालय को कक्षा 6 से 8 तक की अस्थायी मान्यता इस आदेश के निर्गत होने की तिथि से निम्न प्रतिबन्धों के साथ प्रदान की जाती है। आप द्वारा उपलब्ध कराये गये पत्रजातों में किसी भी तथ्य को छिपाने अथवा किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर समिति को इस निर्णय पर पुनः विचार करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

1- विद्यालय में एक विज्ञान और भाषा का अध्यापक अनिवार्य रूप से होंगे।
2- विद्यालय के शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का पद आरक्षण नियमों के आलोक में भरे जायें।
3- शासकीय/विभागीय आदेशों का पालन किया जाय।
4- विज्ञान पद में प्रत्येक छमाही 250/= रूपये जमा किया जाय।
5- शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित दरों के अनुरूप शुल्क लिया जायेगा तथा विद्यालय की समस्त निधियों का लेखा उचित रूप से रखा जाय जिसे डाकघर में या अनुसूचित बैंक में जमा किया जाय। विद्यालय में अस्वीकृत पुस्तकों का प्रयोग नहीं किया जाये।
6- विद्यालय में परिषद द्वारा विहित पाठ्य पुस्तकों से भिन्न पाठ्यक्रम में न तो शिक्षा दी जाय और नही पाठ्य पुस्तकों का उपभोग किया जाय।
7- मान्यता प्राप्त विद्यालय अपने प्रत्येक अध्यापक या कर्मचारी को वही वेतनमान महंगाई भत्ता तथा अतिरिक्त महंगाई भत्ता देने का अधिकार होगा जो परिषद के समान भत्ता वाले अध्यापकों व कर्मचारियों को दिया जाये।

... कोई कक्षा कोई उपकमी न ...

Principal
Children Public Sr. Sec. School
Fatehpur
Affn. No-2130597

Fatehpur
Affiliation No. 2130597

9- विद्यालय में शिक्षा का माध्यम देवनागरी लिपि हिन्दी होगी।

10-विद्यालय का निरीक्षण शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा कभी भी किया जा सकता है तथा वह विभाग के नियमों और समय-समय पर दिये गये निर्देशों/आदेशों का पालन करेंगा।

11-विद्यालय मेंअनिवार्य रूप से प्रशिक्षित अध्यापक ही रहें, किसी भी दशा में अप्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति न की जाय।

12-यथा समय प्रबन्ध समिति का नवीनीकरण कराया जायेगा और उसकी सूचना विभाग को दी जायेगी।

13-एक प्रधानाध्यापक तथा चार सहायक अध्यापक होंगे जिसमें एक त्रिभाषा अध्यापक एक विज्ञान अध्यापक होंगे। एक लिपिक एक परिचारक के पद मान्य किये जाते हैं। इस प्रकार विद्यालय की कुल जनशक्ति 07 की होगी।

14-शासकीय/विभागीय आदेशों का पालन न करने की स्थिति में अथवा किसी प्रकार का गलत तथ्य/अभिलेख प्रस्तुत किये जाने या गलत पाये जाने पर इस निर्णय पर पुनः विचार का अधिकार सुरक्षित रहेगा तथा प्रदत्त मान्यता के प्रत्याहरण के लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिनियम की धारा-12 के अनुसार कार्यवाही वांछनीय होगी।

15-अनिवार्य रूप से विद्यालय में पेयजल/मूत्रालय/शौचालय हो।

16-विज्ञान सामग्री एवं पुस्तकें पांच-पांच हजार रूपये की होनी चाहिए।

17-सुरक्षित/प्राभूतकोष रू0 12,000=00 जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पदनाम में बंधक हो।

18- विद्यालय में खेल की समुचित व्यवस्था हो।

19-कक्षा की माप के अनुसार छात्रसंख्या होनी चाहिए।

भवदीय

(डा0 चन्द्र पाल)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
फतेहपुर।

पृ0संख्या/ 10209-29 /2002-03 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) चतुर्थ मण्डल इलाहाबाद।
3- जिला समाज कल्याण अधिकारी, फतेहपुर।
4- जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, फतेहपुर।
5- वित्त एवं लेखाधिकारी, बे0शि0-फतेहपुर।
6- उप बेसिक शिक्षा अधिकारी, फतेहपुर।
7- ~~नगर शिक्षा अधिकारी, फतेहपुर/बिन्दकी।~~
8- समस्त सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, जनपद-फतेहपुर।

Principal
Children Public Sr. Sec. School
Fatehpur
Affn. No-2130597

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी